




वायरस के फैलाव की गति

दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ 35 लाख से ऊपर है जबकि मृतकों की संख्या 10 लाख पार कर चुकी है। अच्छी बात कोई है तो सिर्फ यह कि इसके खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया गया है।

सिद्धार्थ साहनी।।

देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या इस हफ्ते 60 लाख को पार कर गई। मरने वालों की संख्या भी एक लाख के करीब जा पहुंची है। दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ 35 लाख से ऊपर है जबकि मृतकों की संख्या 10 लाख पार कर चुकी है। अच्छी बात कोई है तो सिर्फ यह कि इसके खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया गया है। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत शामिल है और यहां भी हालात बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। इस सचार्ई का अहसास 60 लाख के आंकड़े से नहीं बल्कि उसके पीछे के इस रुझान से होता है कि वायरस के फैलाव की गति कम हो रही है। अपने देश में इसकी रफ्तार पर नजर

डालें तो एक से 10 लाख केस तक पहुंचने में 168 दिन लगे थे, जबकि 10 से 20 लाख होने में 21 दिन, 20 से 30 लाख होने में 16 दिन, 30 से 40 लाख तक जाने में 13 दिन और 40 से 50 लाख केस तक पहुंचने में मात्र 11 दिन लगे। यहां तक इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मगर 50 से 60 लाख तक पहुंचने में इसे 12 दिन लगे। यानी पहली बार वायरस के फैलाव की गति में कमी दर्ज की गई है। यह कमी अन्य आंकड़ों में भी झलकती है। रोज सामने आने वाले नए केसों की संख्या भी 95 हजार तक पहुंचने के बाद पिछले कई



दिनों से 80 से 85 हजार के आसपास केसों में कमी और ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का परिणाम है कि एक्टिव मरीजों की कुल संख्या भी कम हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले नौ दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में 61 हजार की कमी दर्ज की गई है। निश्चित रूप से ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस आधार पर हालात की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चुनौतियां हर मोर्चे पर हैं। ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। महाराष्ट्र और

मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन के ब्लैक में काफी ऊंची कीमतों पर बिकने की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जहां ऑक्सीजन राज्य से बाहर भेजे जाने पर रोक लगाई वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की। स्थिति फिलहाल कुछ संभली हुई लग रही है, लेकिन यह चुनौती अभी बनी रहने वाली है। दूसरी बात यह कि अगर मान लें कि महामारी सचमुच उतार की ओर है तो सबसे बड़ा खतरा आम लोगों में लापरवाही आने का है। खासकर यूरोप में वायरस ने जिस तरह वापसी की है, उसे देखते हुए अभी पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि बीमारी को दूसरी चढ़ाई का मौका किसी हाल में न मिले।

सफल इंसान

अशोक वोहरा। सफलता के रास्तों में उन्होंने कई बार असफलता भी देखी है। सफल इंसान सफलता पाने के लिए अपनी कई आदतों का त्याग भी करता है और कई नयी आदतों को अपनाता भी है। यदि आप सफलता प्राप्त करने के लिए गंभीर हो, तो आपको अपने अंदर के साधारण इंसान को कुछ नया पाने के लिए छोड़ना होगा। इसी तरह आपमें बदलाव आ सकते हैं। जब साधारण असफल लोग सोते रहते हैं उस वक़्त सफल लोग रोज अपने नये-नये इरादों के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते वक़्त संतुष्ट को आलस या नींद के वजह से बंद करते हो और खुद को काम न करने के बहाने देने लगते हो तब आपके लिए सफल होना बहुत ही मुश्किल है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

नया अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बिल को किसानों के लिए नया अध्याय बताया है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि मंडी परिषद नहीं खट्म होगी और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' जारी रहेगा। यहीं वजह रही कि सरकार ने समय से पहले फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। कॉरपोरेट जगत अपनी शर्तों पर किसानों से अनुबंध करेगा। अपने माफिक खेती कराएगा। मंडी समितियां खट्म हो जाएंगी। जिसकी वजह से किसानों की बोली नहीं लग पाएगी उसकी उपज का समुचित मुनाफा नहीं मिलेगा। देश के जानेमाने कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा किसानों की इस आशंका को सच मानते हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते। जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां खट्म होने लगेंगी। उन्होंने आशंका जताई है कि तीन लाख मंडी मजदूरों के साथ-साथ कच्छीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए यह जोखिम भरा होगा। देश में कृषि सुधार एक अहम जरूरत है लेकिन किसान और मजदूर हमेशा वोटबैंक की राजनीति का हिस्सा रहा है। यह विषय राजनीति से ऊपर उठ कर है लेकिन सम्भव नहीं दिखता है। इस अहम बिल पर सरकार को विपक्ष की बात को तरजीह देनी थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। लॉकडॉन में अगर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत न होती तो क्या हालात होते इसकी कल्पना की जा सकती है। ऐसे में किसानों पर राजनीति बंद होनी चाहिए।

कृषि सुधार के तीन विधेयकों पर सड़क से लेकर संसद तक की राजनीति गरमा गई है। किसान फिर सियासी मोहरा बन गया है। किसान, कितना मुनाफे और घाटे में होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों किसानों की चिंता में दुबले दिखते हैं।

राजनीति का मोहरा किसान

प्रभुनाथ शुक्ल।।

केंद्र सरकार की तरफ से कृषि सुधार पर लाया गया बिल सत्ता और विपक्ष की राजनीति में 'मंदारी और सपेरे' का खेल बन गया है। सरकार ने बीन बजाई और उसकी झोली से एक उम्दा 'किसानहित' बिल निकल गया। लेकिन यह खेल दूसरे सियासी मदारियों को नहीं पच रहा है। कृषि सुधार के तीन विधेयकों पर सड़क से लेकर संसद तक की राजनीति गरमा गई है। एकबार किसान फिर सियासी मोहरा बन गया है। किसान, कितना मुनाफे और घाटे में होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों किसानों की चिंता में दुबले दिखते हैं। किसान हिमायती बनाने में संसद में जिस तरह माननीयों का दंगल देखने को मिला उसे अनैतिक राजनीति की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। उपसभापति के आसन के सामने आकर माननीयों ने बिल की प्रतियों को फाड़ माड़क तक तोड़ डाली। इस अर्थादित आचरण के लिए सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलम्बित करना पड़ा। फिलहाल यह आचरण संसदीय मर्यादा के खिलाफ है हम किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं करते हैं।

देश का किसान हमेशा राजनीति का मोहरा बना है उस पर केवल राजनीति हो रही है।



लेकिन अभी किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। जबकि विपक्ष चाहता है कि इसकी आग पूरे देश में फैले। केंद्र सरकार बिल को लेकर इतनी उतावली क्यों है। बिल को पास कराने में उसने जल्दबाजी क्यों दिखाई। सरकार बिल पर मत विभाजन को क्यों तैयार नहीं हुई। सरकार वास्तव में अगर किसान हितैषी है तो इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है। सरकार बिल लाने के पूर्व इस बिल को क्यों किसानों के बीच लेकर नहीं गई। किसानों की राय लेना सरकार ने क्यों उचित नहीं समझा। सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्यों सफाई देती फिर रही है। अखबारों में इशतहार देकर नफे नुकासान बता रही है। यहीं काम उसने पहले क्यों नहीं किया। अगर विपक्ष मतविभाजन पर अड़ा था

तो ध्वनिमत पर उसने भरसा क्यों जताया। देश की 80 फीसदी मेहनतकश आबादी के भाग्य का फैसला जो बिल करने वाला है उसे ध्वनिमत से पास करना कहां का इंसाफ है। ध्वनिमत का प्रस्ताव विषम स्थितियों में होना चाहिए लेकिन अब यह उपाय सत्ता की कमजोरी बनता दिखता है।

केंद्र सरकार जिन तीन विधेयकों को ऐतिहासिक बता रही है उनमें एक 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य' संवर्धन और सरलीकरण विधेयक है। इस बिल पर सरकार का कहना है कि यह बिल किसानों को पूरी उपज मंडी से बाहर बेचने की आजादी देता है। फिर क्या इसके पहले ऐसा नहीं होता था क्या। किसानों तो तब भी पूरी आजादी के साथ अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता था। सरकार का इस प्राविधान में यह दावा है कि इस बिल से किसान अपनी उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकता है। इस श्रेणी में कितने फीसद किसान आएंगे यह सरकार खुद जानती है। किसान अगर अपनी फसल मंडी से बाहर बेचेगा तो कहां बेचेगा। उसे खरीदने वाला कौन होगा। उसकी शर्त क्या होगी। किसान क्या अपनी शर्त के मुताबिक अपनी उपज बेच पाएगा। आखिरी खरीदने वाली वह संस्थाएं कौन होंगी ? साफ जाहिर है की सरकार की यह नीति 'कॉरपोरेट जगत' को फायदा दिलाएगी।

सूटो कु बवताल- 5490									
									कठिनता
7									4
	5	3							7
				8					2
			1	9					
	2								8
		6	7						
1		4							
	9		2					5	
	8								1

अपना ब्लॉग

बजार पर क्या सरकार का नियंत्रण होगा

मोहन। आवश्यक और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। आम आदमी की क्रयशक्ति से बाजार बाहर हो सकते हैं। ऐसा इस लिए भी होगा कि जब सरकार कह रही है कि किसान किसी भी कीमत पर मंडी से बाहर अपनी उपज बेच सकता है। फिर क्या खरीददार किसानों को मुंहबोली कीमत चुका अपनी ऊँची कीमत बाजार से नहीं वसूलना चाहेगा? अगर ऐसा होगा तो फिर सरकार के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' का क्या होगा। बिल के बाद बाजार पर क्या सरकार का नियंत्रण होगा कि कोई भी 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से नीचे किसान की उपज नहीं खरीद सकता है। 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की शर्त क्या वर्तमान में लागू है? वर्तमान समय में किसानों का विश्वास जीतने के लिए गेहूँ की एमएसपी 50 रुपए बढ़ा दिया है। अब यह 1925 के बजाय 1975 रुपए प्रति कुंतल (एमएसपी) होगी। लेकिन आम किसान 1400 से 1500 रुपए में खुले बाजार और साहूकार अपनी उपज बेच रहा है, फिर 'एमएसपी' का क्या फायदा।

